

Amrta

10.07.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।
प्रार्थी का मूल वादपत्र अदम हाजरी खारिज हो गया।
मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे
कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र
खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर
खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की
जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Amrta

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

